FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 18 / 2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व / 2020 / 814 दिनांक 01.09.2020 द्वारा ग्राम शिवपुर पटवार हल्का शिवपुर तहसील करेड़ा के बिलानाम आ.नं.2799 रकबा 26.12 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी मे से रकबा 1.09 बीघा भूमि में से रास्ता ग्राम शिवपुर से ग्राम थाणा के मजरा खल्या को मिलाता है जो मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई होकर चालु रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है जिसके समर्थन में सम्बत् 2071 से 2074 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का शिवपुर के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली आदेश दिनांक 12.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	
12.10.2020	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **:: आदेश ::** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम शिवपुर पटवार हल्काशिवपुर तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 2799 रकबा 26.12 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी मे से रकबा 1.09 बीघा भूमि में से रास्ता ग्रा[illegible] मजरा खल्या को मिलाता है जो मौके पर ग्रेवल सड़क[illegible] होकर चालु रास्ते के रूप में सार्वजनिक उ[illegible] रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, सं[illegible]–ए में वर्णितानुसार कर अमल दरामद की कार्यवाही करे। प[illegible]ना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार होकर [illegible]बर से कम हो। (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:28:40 IST
Reason: SelfAttested